

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 39/2018

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 09.08.2018

निर्णय दिनांक : 31/8/2018

सरकार जरिये पटवारी हल्का

बनाम

श्री रेखाराम पुत्र खांगाराम

अड़कसर

जाति बनबागरिया नि. दौलतपुरा

—: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनुपरिथत प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का अड़कसर द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री श्री रेखाराम पुत्र खांगाराम जाति बनबागरिया नि. दौलतपुरा ने ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 15 कुल रकबा 9.32 हैक्टेयर किस्म गै.मु. चारागाह में से रकबा 0.10 हैक्टर भूमि पर सम्वत 2075 में बाड़ा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये किया गया। नोटिस की प्रति प्रभूराम ने प्राप्त की।

अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे प्रार्थना - पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली



पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम दौलतपुरा के आराजी राज खसरा नम्बर 15 कुल रकबा 9.32 हैक्टेयर किस्म गै.मु. चारागाह में से रकबा 0.10 हैक्टर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 0.10 रु का पच्चास गुणा से राशि रु0 05/- अक्षरे पांच रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे। आरोपित शारित की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 31/10/19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(महावीर प्रसार शर्मा)
तहसीलदार, कुचामन सिटी
जिला नर्मदा - राज 0 नर्मदा

मांग कायमी रा.ले.स.-4
क्रि.पृष्ठ संख्या 27
वर्ष 2019-19
रा.जुर्माना —
क.निलामी —
गोचर जुर्माना 05
प्रा.पैदावार —

तराले कुचामन सिटी